

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या -1004 / 2014 / हनुमानगढ़
अपील संख्या 1990 व 1989 / 2013 / हनुमानगढ़

मैसर्स ज्योति कॉन्ट्रॉल इण्डस्ट्रीज, सांगरिया,
जिला-हनुमानगढ़।

.....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एस.सी.ओझा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.04.2015

निर्णय

1. अपीलार्थी, व्यवहारी द्वारा उक्त तीन अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर व उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा पारित पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेश क्रमशः दिनांक 25.03.2014, 29.08.2013 व 29.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं जो क्रमशः अपील संख्या 161/आर.वैट/हनुमानगढ़/2013-14, 251/सीएसटी/हनुमानगढ़/2012-13 व 236/आर.वैट/हनुमानगढ़/2012-13 के संबंध में हैं तथा जिनमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, हनुमानगढ़ (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा तालिकानुसार राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) सपठित सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) के तहत क्रमशः निधो वर्ष 2010-11, 2009-10 व 2009-10 के लिये पारित पृथक्-पृथक् निर्धारण आदेश दिनांक 23.03.2013, 02.02.2012 व 02.02.2012 के जरिये तालिकानुसार रिवर्स किये गये टैक्स के संबंध में कायम की गयी मांग राशि क्य कर व अनवुर्ती ब्याज को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादास्पद किया है।

लगातार.....2

अपील संख्या	अधिनियम व केन्द्रीय अधिनियम की धारा	रिवर्स कर	क्य कर	अनुवर्ती ब्याज
1004/2014	23, 24, 55, 58 18 व 4(2)	6,68,400/-	6,74,035/-	4,05,710/-
1990/2013	23, 24, 55, 58 18 व 4(2) सपठित धारा 9 (CST)	24,76,695/-	-	-
1989/2013	23, 24, 55, 58 18 व 4(2)	8,54,080/-	12,77,300/-	7,13,120/-

2. चूंकि तीनों अपील प्रकरणों के विवादित बिन्दु व तथ्य सादृश्य हैं। अतः तीनों अपील प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय का प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों से संबंधित दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा औद्योगिक ईकाई स्थापित की जाकर, ईकाई में "रॉ-कॉटन" की जिनिंग प्रेसिंग की जाकर रूई की गाद, बिनौला तथा बिनौला से बिनौला तेल एवम् खल का विनिर्माण किया जाता है एवम् उक्त पदार्थों का विक्रय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य व अन्तर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर यह भी पाया कि विनिर्माण प्रक्रिया में "रॉ-कॉटन" से रूई 35 प्रतिशत, तेल बिनौला 7.5 प्रतिशत, तथा खल बिनौला 53 प्रतिशत वजनानुसार निर्मित होता है। प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच के दौरान यह भी पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों में उत्पादित माल यथा रूई एवम् बिनौला एवम् बिनौला तेल कर योग्य है परन्तु खल बिनौला कर मुक्त उत्पाद है फिर भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्रीत कच्चे माल यानि "रॉ-कॉटन" पर भुगतान किए गये सम्पूर्ण कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में बहीयात व प्रस्तुत विवरणियों में लिया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, खल बिनौला कर मुक्त उत्पाद होने के कारण, क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अधिनियम की धारा 18(1)(c) के प्रावधानों के आलोक में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अविधिक तरीके से क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स कर, करारोपण हेतु नोटिसेज जारी किये गये। नोटिसेज की पालना में, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत विवरण

गये। जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि कर मुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल नरमा कपास पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधानों के अधीन ही अनुज्ञेय है एवम् इस संबंध में कर पर भुगतान किये गये कर का अनुपातिक लाभ, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में देय है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को कर योग्य वस्तुओं के विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व के विरुद्ध आनुपातिक रूप से समायोजित कर शेष खल बिनौला पर अनुपातिक रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट अस्वीकार कर, इस संबंध में उपर्युक्तानुसार "रिवर्स-टैक्स", कर कर (अपील संख्या 1004/2014 व 1989/2013 में) व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियां कायम कर, निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को जरिये पृथक्-पृथक् अपीलीय आदेशों के जरिये अस्वीकार कर दिया गया। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गयी है।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड में अपील संख्या 1990 व 1989/2013/हनुमानगढ़ दायर कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा काला मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने हेतु निवेदन किया गया था। परन्तु अब अपीलार्थी व्यवहारी उपर्युक्त दोनों अपीलों का निर्णय गुणावगुण पर चाहता है। अतः उक्त निवेदन को स्वीकार कर, दोनों अपील का निर्णय अपील संख्या 1004/2014/हनुमानगढ़ के साथ गुणावगुण पर करने की प्रार्थना की गयी।

गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा राज्य के भीतर कर चुकाकर कच्चा माल "रॉ-कॉटन" क्रय की गयी है तथा इसे रूई व तेल के विनिर्माण में काम में लिया गया है जिसमें बिनौला खल विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान प्राप्त होने वाला एक सह-उत्पाद है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्माण में प्रयुक्त क्रीत कच्चे माल के कुल क्रीत मूल्य पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ विधिक प्रावधानानुसार ही क्लेम किया गया है। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि इस संबंध में क्लेम किये गये इनपुट टैक्स क्रेडिट को अनुपातिक रूप से रिवर्स कर, तदनुसार रिवर्स कर, कर कर व अनुवर्ती ब्याज आरोपित करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है।

विशिष्ट रूप से माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत

✓

लगातार..... 4

सिविल पिटीशन क्रमांक 9447/2012 मैसर्स रूची सोया इण्डस्ट्रीज लि., गुना बनाम मध्य प्रदेश राज्य व अन्य (2014) 21 वैट रिपोर्टर 173 निर्णय दिनांक 05.12.2013 को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में कच्चा माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करते हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने संबंधी प्रतिपादित विधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1992) 2 एस.सी.सी. 579 में अनुपातिक आधार पर प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में विधिसम्मत होना नहीं अवधारित किया गया है। अतः उक्त प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में भी दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी। पुनः इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के कमिश्नर ऑफ सेलर टैक्स बॉम्बे बनाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (1992) 85 एस.टी.सी. 220, यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम हिन्दुस्तान जिन्क लि. सिविल अपील क्रमांक 8621/2010 को प्रोद्धरित किया गया। पुनः इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की गयी जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ग्रहण होना स्वीकार किया गया है।

6. पुनः अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्धारित ब्याज राशियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 94 एस.टी.सी. 422 को प्रोद्धरित कर तर्क दिया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित किया गया है कि ब्याज मांग सृजित तिथि से ही देय है। जबकि हस्तगत प्रकरणों में प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय तिथि से ही ब्याज की गणना कर, ब्याज आरोपित किया गया है, जो प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में विधिसम्मत नहीं है। अतः आरोपित ब्याज की मांग राशियों को भी अपास्त करने की प्रार्थना की गयी। अन्ततः अपने उक्त तर्कों व माननीय न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, हस्तगत प्रकरणों में अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार कर, दोनों अवर

अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करने की प्रार्थना की गयी ।

7. प्रत्यर्थी की ओर से उप-राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18(1)(g) के नीचे अंकित प्रावधानों की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि उक्त के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर योग्य कच्चे माल के क्रय पर, कर मुक्त माल के विक्रय के अतिरिक्त, कर योग्य माल के विनिर्माण में प्रयुक्त हुये माल पर एवम् इससे उत्पादित कर योग्य माल के राज्य में व अन्तर्राज्यिक विक्रय पर उत्पन्न कर दायित्व पर देय है । कथन किया कि प्रावधानों में स्पष्ट उल्लेख है कि निम्न अनुपात में कच्चे माल का प्रयोग कर, कर योग्य माल का विनिर्माण होता है उसी अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुज्ञेय है। इसके अतिरिक्त बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा तर्क दिया गया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में ऊपर वर्णित न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि की विस्तृत विश्लेषण कर, यह अवधारित किया है कि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के विधिक प्रावधानों के मद्देनजर उक्त न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्त राज्य पक्ष का ही समर्थन करते हैं। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम तर्क दिया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रोद्धरित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 18(1)(e) व 18 (1)(g) के नीचे अंकित विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहू से विनिर्मित, कर मुक्त माल "चौकर" की बिक्री के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होना अवधारित कर, "रिवर्स- टैक्स" की मांग राशि को विधिसम्मत होना अवधारित किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित विधि के आलोक में, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि में कच्चे माल के खरीद मूल्य पर क्लेम किये गये कुल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल बिनौला की बिक्री मूल्य के अनुपात में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम को कम करत हुए आनुपातिक रूप से रिवर्स टैक्स आरोपित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है।

8. जहां तक ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्क का प्रश्न है, विद्वान उप-राजकीय द्वारा कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर के अदत्त रहने के कारण निर्धारण अधिकारी द्वारा

✓

लगातार.....

ब्याज का आरोपण किया गया है, जो पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रस्तागी स्टील फर्नीचर 6 अपडेट 317 को प्रोद्धरित कर, उक्त बिन्दु पर भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना कर, अन्ततः विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील संख्या 1990 व 1989/2013/हनुमानगढ़ के संबंध में उक्त बहस किये गये निवेदन को स्वीकार कर, उपर्युक्त दोनों अपीलों का निर्णय अपील संख्या 1004/2014/हनुमानगढ़ के साथ गुणावगुण पर किया जा रहा है।

10. जहां तक अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह कथन कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दायर अपील को ग्रहण योग्य होना स्वीकार किया गया है। उक्त बिन्दु के संबंध में यह स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील को केवल स्वीकार किया गया है, एवम् माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अन्यथा निर्णय पारित नहीं किया गया है जिससे कि उक्त निर्णय में रिवर्स टैक्स से संबंधित प्रतिपादित सिद्धांत पर कोई विपरित प्रभाव पड़ता हो। अतः उक्त आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

11. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् प्रोद्धरित माननीय न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधानों का गहन अध्ययन किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को हस्तगत प्रकरणों में लागू किये जाने के संबंध में, उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों द्वारा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय न्यायालयों के समक्ष विभिन्न राज्यों के बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों का विवेचन विचाराधीन था, जबकि हस्तगत प्रकरणों में राजस्थान में परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की विशिष्ट धाराओं का विवेचन नहीं

कारण हस्तगत प्रकरणों में लागू किये जाने योग्य नहीं है।

12. हस्तगत प्रकरणों में विवादित बिन्दुओं के संबंध में रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में कर मुक्त बिनोला खल का विक्रय कर मुक्त होने के कारण, इस संबंध में क्लेम किये गए समस्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अपीलार्थी व्यवहारी को देय नहीं है जैसाकि अधिनियम की धारा 18(1)(e) के प्रावधान है एवम् अधिनियम की धारा 18(1)(g) के नीचे अंकित निम्न प्रावधान अतिमहत्वपूर्ण है, जो इस प्रकार है:-

.....however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.” इस संबंध में

उल्लेखनीय है कि समान बिन्दुओं पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापबंधन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 में प्रतिपादित विधि महत्वपूर्ण है जिसमें माननीय न्यायालय ने प्रोद्धरित विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विश्लेषण कर, अधिनियम की धारा 18(1) के प्रावधान में मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड के प्रकरण में इनपुट टैक्स क्रेडिट की देयता के संबंध में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है :-

"20. In the considered opinion of this Court, therefore, in view of specific provisions contained in Section 18 of the VAT Act of 2003, the ratio of the judgments relied upon by the learned counsel for the respondent-assessee would in fact support the case of the Revenue, and as a necessary corollary, it deserves to be held following these aforesaid judgments, that input tax credit in the present case, was rightly reduced and was allowed only proportionately to the extent of manufacturing and sale of taxable goods by the assessee in the present case, namely, "Aata", "Maida" and "Suji", manufactured out of raw material (wheat) and such input tax credit could not be allowed to the extent of sale of VAT exempted goods, namely, wheat bran (Chaff/Chokar), which has been assessed by the Assessing Authority to the extent of 25% of the input tax credit and reverse tax has been imposed on the respondent-assessee.

13. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय कर बोर्ड की समन्वयपीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित विधि का अनुसरण कर निर्णय दिनांक 22.03.2012 पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत विवादित प्रकरणों में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रोद्धरित




लगातार.....

न्यायिक दृष्टांत 32 टैक्स अपडेट 03 व खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1224/2008/बूंदी में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अपीलीय अधिकारी द्वारा तालिकानुसार "रिवर्स-टैक्स", कर व अनुवर्ती ब्याज की मांग राशियों की पुष्टि करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। जहां तक आरोपित ब्याज की मांग राशियों का प्रश्न है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स रस्तोगी स्टील फर्नीचर 6 अपडेट 317, व कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ., घट-द्वितीय, अजमेर बनाम् मैसर्स स्वास्तिक बैटरी कॉरपोरेशन, अजमेर अपील संख्या 42 से 46/2003/अजमेर निर्णय दिनांक 09.09.2003 (2003) 2 आर.टी.आर. के प्रकाश में, अनुवर्ती ब्याज का आरोपण विधिसम्मत है। अतः अनुवर्ती ब्याज भी यथावत् रखा जाकर इन दोनों बिन्दुओं पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप, उक्त बिन्दुओं पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

14. परिणामतः, अपीलें अस्वीकार की जाती है।

15. निर्णय प्रसारित किया गया।


(मदन लाल)
सदस्य


(राकेश श्रीवास्तव)
अध्यक्ष